## कार्यालय महालेखाकार को अन्तिम भुगतान जमा करने हेतु जॉच सूची

### पास बुक

1. अभिदाता की पास बुक मूल रुप में संलग्न है । ☐
2. सा0भ0नि0 अभिदान के प्रारम्भ से अथवा सन् 1978–79 से अभिदाता के पास बुक का अनुरक्षण लिया गया है । ☐
3. पास बुक के प्रथम पृष्ठ पर सभी स्तम्भ जो कि अभिदाता की व्यक्तिगत सूचनाओं से सम्बन्धित है, को अच्छी तरह से भरा गया है तथा अभिदाता द्वारा हस्ताक्षरित है । ☐
4. उतरवर्ती पृष्ठों पर अभिदाता की नियुक्ति विवरणिका भली प्रकार भरी गयी है । तथा सम्बद्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित है । ☐
5. पास बुक पर अभिदाता का नाम व संख्या महालेखाकार द्वारा निर्गत आवंटन पत्र में उल्लिखित नाम व संख्या से मेल खाता है । ☐
6. यदि बाद में अभिदाता के नाम में कोई परिवर्तन हुआ हो तो इसे सुसंगत विवरणों के साथ महालेखाकार को सूचित कर दिया गया है तथा सुधार करा लिया गया है । (जो कि अभिदाता को निर्गत वार्षिक लेखा पर्ची में प्रदर्शित हो ।) ☐
7. वर्ष 1978–79 से पूर्व के अभिदान जो अभिदाता की पास बुक में आरम्भिक अवशेष के रुप में दर्शाये गये है को महालेखाकार द्वारा निर्गत लेखा पर्ची से लिया गया है । ☐
8. चतुर्थ श्रेणी सा0भ0नि0 खाता से स्थानान्तरित राशि के लिए चालान की मूल प्रति पास बुक में संलग्न चिपका दी गयी है ☐
9. यदि चतुर्थ श्रेणी सा0भ0नि0 खाता से स्थानान्तरित राशि का चालान एक से अधिक अभिदाताओं के लिए संयुक्त रुप से तैयार किया गया है तो अभिदातावार अलग–अलग राशि उनके तृतीय श्रेणी खाते में जमा कर दिया गया है तथा अभिदाता का नाम व नम्बर स्पष्ट रुप से उल्लेख करते हुए चालान संलग्न कर दिया गया है । ☐
10. सेवानिवृत्ति से छः माह पूर्व तक के अन्तिम अभिदान तक सभी वर्षो का विवरण तथा यदि कोई अनधिकृत अभिदान हो तो उसका विवरण पास बुक में निरन्तर कालक्रमानुसार उल्लिखित है तथा कोई भी वर्ष छूटा नही है । ☐
11. सा0भ0नि0 पास बुक के सभी स्तम्भ जिसमें प्रमाणक संख्या प्रमाणकों का योग अभिदान की प्रकृति सम्मिलित है, को विधिवत भरा गया है तथा सम्बद्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है । ☐
12. अभिदान के प्रतिदाय को माह के नियमित अभिदान से अलग प्रदर्शित किया गया है । ☐
13. प्रमाणक अनुसार सा0भ0नि0 के अभिदत्त बकाया का विवरण पास बुक में अलग से बकाया की मद तथा अवधि स्पष्ट रुप से उल्लिखित करते हुए अंकित है न कि उसी में सम्मिलित । ☐

14. वापसी के समर्थन में अग्रिमों की समरुप प्रविष्टियॉ पास बुक में दर्ज कर ली गयी है तथा वापसी की किश्त संख्या ठीक से चिन्हित कर ली ग
15. सभी निकासियों के लिए प्रमाणक संख्या तथा दिनांक स्वीकृति के पूर्ण विवरण के साथ उल्लिखित किये गये है ।
16. निकासी स्तम्भ को स्पष्ठ अंकित करके 'शून्य' रुप में सत्यापित किया गया है तथा जिन वर्षो में निकासी नही की गयी है उसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा विधिवत रुप से प्रमाणित किया गया है तथा किसी भी वर्ष के स्तम्भ को रिक्त नही छोडा गया है ।
17. कालातीत /निरस्त चेक के विरुद्व संवितरण हेतु उसी संस्वीकृति आदेश पर नये बिल की निकासी की स्थिति में इसे पास बुक के निकासी स्तम्भ में प्रमाणक संख्या एवं प्रमाणक के गैर अदायगी हेतु कारण सहित प्रमाण पत्र रुप से अंकित कर दिया ।
18. पास बुक के प्रत्येक पृष्ठ पर वर्ष में दो बार अभिदाता के हस्ताक्षर लिये गये है ।
19. महालेखाकार द्वारा उल्लिखित मिलान पत्र की सभी विसंगतियॉ पास बुक में सुधार ली गयी है तथा तदनुसार प्रमाणित किया गया है ।
20. अभिदाता को किये गये 90 प्रतिशत भुगतान का विवरण जैस स्वीकृति संख्या तथा दिनांक एवं यदि भुगतान में विलम्ब हो तो भुगतान की तारीख पास बुक के सम्बन्धित पृष्ठ पर अंकित किया गया है ।

**अन्तिम भुगतान प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु निधार्रित समय सीमा या ( अनुसूचित समय)**

21. सा0भ0नि0 (उ0प्र0) नियम 1985 के नियम 24 के प्रावधान के अनुपालन में अधिवार्षिता प्राप्त करने वाले अभिदाताओं का अन्तिम भुगतान प्रकरण उनके सेवा निवृत्ति से तीन माह पूर्व महालेखाकार को भेज दिया गया है ।
22. मृत तथा स्थानान्तरित अभिदाताओं के प्रकरण उनकी मृत्यु/स्थानान्तरण/सेवा छोडने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर महालेखाकार को अग्रेसित कर दिया गया है ।
23. सा0भ0नि0 (उ0प्र0 ) नियम 1985 की अनुसूची–2 के अधीन यथा चिहिन्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा 90 प्रतिशत राशि के लिए अभिदाता को उससे प्रारुप 425 'क' प्राप्त करने की प्रतीक्षा किये बिना महालेखाकार के 10 प्रतिशत अन्तिम भुगतान प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही स्वीकृति दे दी गयी है ।
24. सेवा निवृत्ति की तिथि को अभिदाता को महालेखाकार द्वारा सत्यापित अवशेष के अनुसार 90 प्रतिशत अवशेष का भुगतान कर दिया गया है ।
25. प्रकरण प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब का कारण विलम्ब की अवधि में तैनात आहरण एवं संवितरण अधिकारी के नाम के साथ अलग प्रपत्र पर संलग्न है ।
26. 19–02–2000 से पूर्व के प्रकरण के लिए प्रारुप 425 'क' की प्रस्तुति में विलम्ब का कारण न्यायोचित तथा अभिदाता के नियन्त्रण से परे पाये जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलम्ब के अधित्याग का आदेश के साथ स्पष्टतः अंकित है ।

## अनुदेशों का अनुपालन

27. शासनादेश संख्या बित्त सामान्य अनुभाग–4 /सा–4–359–दस–96,दिनांक 18–06–1996 के प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत अन्य आदेश के अनुपालन में अभिदाता को 90 प्रतिशत भुगतान से पहले उसके पास बुक का महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित लेखे से मिलान किया गया है । ☐

28. अभिदाता को 90 प्रतिशत भुगतान पूर्णतः महालेखाकार द्वारा सूचित अवशेष के अनुरुप किया गया है । ☐

29. अभिदाता को 90 प्रतिशत अवशेष भुगतान से पूर्व अभिदाता के पास बुक का महालेखाकार से मिलान नही किये जाने का कारण तथा मिलान नही कराये जाने के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के नाम के साथ अलग प्रपत्र पर संलग्न है । ☐

30. महालेखाकार को पूर्व सूचित किये बिना अभिदाता को सेवानिवृत्ति से छः माह पूर्व किसी निकासी की स्वीकृति नही दी गयी है । ( नेट–11 (13) निमय 16 सा0भ0नि0 नियमवली 1985) ☐

31. पिछले पॉच वर्षो के दौरान अभिदाता के खाते से लिये गये सभी निकासियॉ अभिलिखित है तथा प्ररुप 425 के भाग 5 पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है । ☐

32. अभिदाता की सेवानिवृत्ति से पूर्व पिछले 5 वर्षो के गणना प्रपत्र उस पर वार्षिक लेखा बन्दी के साथ समुचित रुप से तैयार किये गये है । तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है । ☐

## अन्तिम भुगतान प्रकरण के प्रस्तुत संलग्नक

33. अग्रेषण ज्ञाप के पैरा –10 में उल्लिखित सभी अभिलेख प्रकरण के साथ संलग्न है । ☐

34. सा0भ0नि0 पासबुक में की गयी प्रविष्टियों के सत्यापन / रोकी गयी है राशि की निर्युक्ति के लिए महालेखाकार द्वारा निर्गत मिलान–पत्र के माध्यम से मॉगे गये सभी अभिलेख संलग्न किये गये है तथा इन अभिलेखों की एक सूची अन्तिम भुगतान प्रकरण के अग्रेषण ज्ञाप पर तैयार किया गया है । ☐

आहरण वितरण अधिकारी
मुहर